सिफारिशों का सार

सर्वांगी मुद्दों के संदर्भ में

(i) सीबीडीटी व्यवसाय की अवधि के दौरान अस्थाई उत्पादों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे है जहां ऐसे उत्पादों का बाजार मूल्य अस्थिरचित हो।

[पैरा 2.5]

(ii) विभिन्न क्षेत्रों जैसे पवनचक्की के माध्यम से विद्युत उत्पादन, सहउत्पादन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन में व्यवसाय की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी धारा में शब्दावली 'उपक्रम' को उपयुक्त रूप से परिभाषित करने पर विचार करे।

[पैरा 2.6]

(iii) सीबीडीटी धारा 80 आईए (5) के प्रावधानों को संशोधित करे ताकि सभी एओज द्वारा आरंभिक निर्धारण वर्ष से पहले की अवधि से संबंधित अग्रेनीत हानियों के समायोजन की कार्रवाई पर एकरूप स्थिति बनाई जा सके।

[पैरा 2.7]

(iv) सीबीडीटी कार्बन क्रेडिट की बिक्री आगम से होने वाली आय पर अन्य स्त्रोतो से आय के रूप में कर लगाने पर विचार करे।

[पैरा 2.8]

(v) सीबीडीटी धारा 92 सी (4) के पहले परन्तुक जो निर्धारित करता है कि एओ द्वारा निर्धारण के दौरान किये गए संवर्धन पर बढ़ी आय की राशि के संबंध में धारा 10ए, 10एए, 10बी अथवा अध्याय VI-ए के अन्तर्गत कोई कटौती अनुमत नहीं की जानी है के समान ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार करे।

[पैरा 2.9]

निर्धारण में गलती से संबंधित मुद्दे

(vi) सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि राजस्व की हानि से बचने के मद्देनजर लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारणों में दर्शायी गई गलतियों पर उचित ध्यान दिया गया है।

[पैरा 3.2 से 3.12]

आन्तरिक नियंत्रण से संबंधित मुद्दे

(vii) सीबीडीटी कर अवकाश के प्रभाव के आंकलन के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के अभिलेखों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किये गए वास्तविक निवेश पर आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ के बीच उपयुक्त संबंध के लिए एक तंत्र विकसित करे।

[पैरा 4.2.1]

(viii) डीजी (प्रणाली) सीबीडीटी तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा नियमित उपयोग के लिए निम्नलिखित सूचना वाला एमआईएस विकसित कर सकता है:

- व्यवसाय की प्रवृति जैसे अवसंरचना, सड़कों, पत्तनों का विकास, विद्युत का उत्पादन ईत्यादि, प्रारंभिक आकलन वर्ष जिससे निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया था, के साथ पात्र व्यवसाय की शुरूआत का वर्ष तथा संबंधित पूर्व वर्षों में पात्र व्वसाय में निर्धारिती द्वारा वहन की गई हानि जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया गया था।

- मूल निर्धारण में कटौती अनुमत की गई तथा यदि कटौती अनुमत नहीं की गई है तो क्या यह सीआईटी (अपील), आईटीएटी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमत की गई थी;

[पैरा 4.3]

(ix) सीबीडीटी पात्र इकाई के वर्ष वार ब्रेकअप को दर्शाते हुए अग्रेनीत हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास के साथ अनुमत मूल्यह्रास हेतु कालम शामिल करने के लिए प्रपत्र 10 सीसीबी के संशोधन पर विचार करे।

[पैरा 4.6]

(x) सीबीडीटी एक तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी यथा क्षेत्र नियामक द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से अवसंरचना गतिविधि के प्रमाणीकरण पर विचार करे।

[पैरा 4.9]